



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072022-237325  
CG-DL-E-16072022-237325

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3052]  
No. 3052]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 2022/ आषाढ 25, 1944  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 2022/ASHADHA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3210(अ).—केंद्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) के उप-खण्ड (ii)क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ “शून्य कूपन शून्य मूल लिखतों” को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करती है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “शून्य कूपन शून्य मूल लिखतों” से लाभ रहित संगठन द्वारा जारी कोई लिखत अभिप्रेत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज भाग में रजिस्ट्रीकृत होगी।

[फा. सं. 1/16/एसएम/2021]

रीतू जैन, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2022

**S.O. 3210(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iia) of clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby declares “zero coupon zero principal instruments” as securities for the purposes of the said Act.

**Explanation.**—For the purpose of this notification, “zero coupon zero principal instrument” means an instrument issued by a Not for Profit Organisation which shall be registered with Social Stock Exchange segment of a recognised Stock Exchange in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India.

[F. No. 1/16/SM/2021]

REETU JAIN, Economic Adviser